न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अजायबसिंह बनाम सरकार

प्रकरण का प्रकार 225 आरटीएक्ट क्रमांक 116 सन 2021

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
15.07.2021	पत्रावली पेश हुई। अपीलाण्ट के अधिवक्त उपस्थित। तहसीलदार/राजकीय अधिवक्ता को तलब कर पत्रावली दिनांक दिनांक 19.07.2021 को पेश हो।	
19.07.2021	अपीलाण्ट के अधिवक्ता उपस्थित आये राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट व पाच अन्य द्वारा खुली बोली में भाग लिया गया। अपीलाण्ट द्वारा कुल 3,67,000/– रू0 सर्वाधिक बोली लगाई गई जो अस्वीकार की गई है। अपीलाण्ट द्वारा एक चौथाई राशि जमा करवा दी गई है। मगर बिना किसी ठोस आधार के निलामी बोली को अस्वीकार किया गया है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट पुनः बोली करवाने पर उतारू है। अगर अपीलाण्ट द्वारा अधिकतम बोली के आधार पर प्राप्त की गई आराजी की पुनः बोली होती है तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। नहर बंदी के कारण तथा सावणी फसल का काश्त का समय निकल जाने के कारण बोली कम राशि में गई है। अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे एवं अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व में अपीलाण्ट द्वारा एक साला फसल काश्त हेतु सर्वाधिक बोली 3,67,000/– रूपये लगाई गई थी जिसे निरस्त कर दिया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जो दिया जाना चाहिए था। फलतः अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार है अतः अपीलाण्ट [illegible] सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं उपखण्ड अ[illegible]रिया के प्रकरण संख्या रीडर/रिसीवर/2021/900 दिनांक [illegible] में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2021 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को [illegible] निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट/तहसीलदार को सुनवाई का अवसर देकर एवं फसल काश्त के समय में विलम्ब हाने के बिन्दू को मद्देजर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हों। 19/7/21 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:34:11 IST
Reason: SelfAttested